

राज्य सरकार के पत्रों की प्रतियों के.

19/4/24 को भेजे

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, जेएन

19.4.24

पगावली केस कोई चारा घर जेश उरी।
 कर्मि. कपीलाबाई एवं देवो. कर्मि. - 1 कर्मि.
 लला देवो. कर्मि. - 2 की और से पेंसोकार
 सरकार उप 0/1 कर्मि भाषक कपीलाबाई ने
 एक प्रान पत्र संक्षिप्त न्यायालय राजस्व
 मंडल राज. 1 मे रिक्विजन लिखे जाने
 हेतु, पूल कपील लोयरी जाने का जेब किता।
 प्राचीन पत्र एवं कपील पगावली का अपलोशन
 किता तब कर्मि. कपीलाबाई एवं देवो. कर्मि.
 को सुना गया। देवो. कर्मि. ^{व देवो. कर्मि.} को पूल कपील
 लोयरी जाने से कोई आपत्ति नही होना
 जाहिर किता। इतना न्यायस्त्रि मे 2 पी
 स्टेज पर प्राची. काम प्रसूत प्राण पत्र
 स्वीकार किता जाकर पूल कपील,
 सक्षम न्यायालय में - पाराजोरी / रिक्विजन
 करने हेतु कपीलाबाई को लोयरी जासा है।
 पूल कपील की सहायिका प्रति सलग
 पगावली - की जाकर पगावली लडाउपाट
 गिणिसि इलाक़े हेकर बाद लोयरी लकापील
 शिखर दफतर हे।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, जेएन

578
अपलोशन

Date of

18